

## Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन

मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुंगाना

बालु

वनाग

सरकार

किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

नं०

24

रान्

2023

धारा 128 एल0आर0एक्ट0

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

13.06.2023

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकिया कलां में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा बनाकिया कलां तहसील कपासन के आराजी संख्या 1869, 1874, 1875, 1914, 1916, 1918 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बनाकिया कलां पटवार हल्का बनाकिया कलां तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 254 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1869, 1874, 1875, 1914, 1916, 1918 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोवस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगापी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्राप्ति से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी कर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)

सहायक कलेक्टर एवं

न्यायालय सहायक कलेक्टर, कपासन